BHIM

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (135) वन/2022 जयपुर, दिनांकः—10.04.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.0632 ha of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Merta to Gotan Road (SH-86) between KM Stone No. 2-3 (Chainage: 2/947.80 - 2/982.80) LHS in Old Khasra No. 6267/2783 & New Khasra No 6408/6267, At Village - Merta, Tehsil - Merta, District - Nagaur, Raj.(FP/RJ/Approach/151284/2022)

संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 14 (520/45)2022/एफसीए/प्रमुवस/4703 दिनांक 01.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 के अन्तर्गत एनएच—86 , स्टोन 2—3 Chainage 2/947.80 - 2/982.80, खसरा नम्बर 6267/2783 (नया खसरा नम्बन 6408/6267) ग्राम मेडता, तहसिल मेडता जिला नागौर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0632 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस कम में राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.01.2023 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक एफ 14 (520/45)2022/एफसीए/प्रमुवस/4703 दिनांक 01.02.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.0632 ha of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Bharat Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Merta to Gotan Road (SH-86) between KM Stone No. 2-3 (Chainage: 2/947.80 - 2/982.80) LHS in Old Khasra No. 6267/2783 & New Khasra No 6408/6267, At Village - Merta, Tehsil - Merta, District - Nagaur की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Mo[illegible]ali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.10 [illegible]8:24:42 IST
Reason: Approved

कार्यालय पताः— वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी [illegible] भव[illegible]य, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या— 0141—2227762 Mail ID ads.forest@rajas[illegible]

RajKaj Ref No. : 3614226

CamScanner

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ताा अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 18.01.2023 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, नागौर।
6. उप वन संरक्षक, नागौर।
7. Territory Manager Retail , Bharat Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet BPCL Sitapura Jaipur-302022
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.10 18:24:42 IST
Reason: Approved

CamScanner